

पटना उच्च न्यायालय

लेटर्स पेटेंट अपील सं०.1234

सिविल रिट संख्या 6884/2017

शशि भूषण कुमार, आयु लगभग 50 वर्ष, पिता-राम शीश सिंह, गाँव-खम्हर के निवासी,
डाकघर-खम्हर, थाना-बेगुसराय, जिला-बेगुसराय।

..... अपीलार्थी

बनाम्

1. भारत संघ
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. कुलपति, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी.आई.टी. परिसर, पटना।
5. कुलसचिव, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी.आई.टी. परिसर, पटना।
6. वित्त अधिकारी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी.आई.टी. परिसर, पटना।

..... उत्तरदाता

लेटर्स पेटेंट अपील-सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, कैंडर रिक्रूटमेंट (नॉन-टीचिंग एम्प्लॉइज) रूल्स, 2016-2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. नंबर 6884 में पारित फैसले को चुनौती, जिसमें याचिकाकर्ता, जो प्रतिनियुक्ति पर था, को उसके मूल संगठन में वापस भेजने के आदेश को बरकरार रखा गया था-याचिका कि विद्वान रिट कोर्ट इस दलील पर विचार नहीं कर सका कि याचिकाकर्ता को वापस भेजने का आदेश याचिकाकर्ता पर कलंक लगाता है और इसलिए, यदि याचिकाकर्ता को नहीं सुना गया, तो इसे दरकिनार किया जा सकता है- अभिनिर्धारित किया गया:संशोधित बोलने वाले आदेश के जारी होने को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाकर्ता-अपीलार्थी की शिकायत का निवारण कर दिया गया है और बोलने वाले आदेश के कलंकित हिस्से को उत्तरदाताओं द्वारा हटा दिया गया है-याचिकाकर्ता-अपीलार्थी इन सभी अवधियों के लिए वेतन का हकदार नहीं हैं क्योंकि उसने केंद्रीय विश्वविद्यालय या अपने मूल संगठन में काम नहीं किया है-हालाँकि, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी को अपनी सेवा की निरंतरता और वेतन-अपील को छोड़कर, यदि कोई हो, तो उसके परिणामी लाभों का हकदार ठहराया गया है। (पैरा 12 से 15)

पटना उच्च न्यायालय

लेटर्स पेटेंट अपील सं०.1234

सिविल रिट संख्या 6884/2017

=====

शशि भूषण कुमार, आयु लगभग 50 वर्ष, पिता-राम शीश सिंह, गाँव-खम्हर के निवासी,
डाकघर-खम्हर, थाना-बेगुसराय, जिला-बेगुसराय।

..... अपीलार्थी

बनाम्

1. भारत संघ
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. कुलपति, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी.आई.टी. परिसर, पटना।
5. कुलसचिव, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी.आई.टी. परिसर, पटना।
6. वित्त अधिकारी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी.आई.टी. परिसर, पटना।

..... उत्तरदाता

=====

उपस्थित:-

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए : श्री एस. डी. संजय, अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता,
महान्यायवादी,

श्री आलोक अग्रवाल, अधिवक्ता।

भारत संघ के लिए : श्रीमती पूनम कुमारी सिंह, सी.जी.सी.(सेंट्रल गवर्नमेंट
काउंसिल)

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

तारीख: 04-04-2018

सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6884/2017 में पारित दिनांक 04.08.2017 के फैसले को चुनौती देते हुए मूल रिट याचिकाकर्ता ने इस लेटर्स पेटेंट अपील को आगे बढ़ाया है।

2. विवादित निर्णय द्वारा विद्वत रिट न्यायालय ने दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव (जिसे इसके बाद "केंद्रीय विश्वविद्यालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांक 07.04.2017 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा पारित दिनांक 07.04.2017 के विवादित आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे उसके मूल संगठन, यानी अरुणाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग, ईटानगर में सभी परिणामी लाभों के साथ वापस भेज दिया गया था।

3. विद्वत रिट न्यायालय ने दिनांक 07.04.2017 के विवादित आदेश पर विचार किया, जिसे रिट आवेदन के अनुलग्नक-10 के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया था, कुछ प्रश्न तैयार किए, विशेष रूप से कि क्या आदेश दुर्भावनापूर्ण है और याचिकाकर्ता और पंजीयक के बीच बातचीत का परिणाम है और क्या प्रत्यावर्तन का आदेश

याचिकाकर्ता को बिना किसी सूचना या सुनवाई के है और इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

4. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए और उस पर की गई चर्चाओं पर, विद्वान रिट कोर्ट ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के इस तर्क को खारिज कर दिया कि असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर प्रत्यावर्तन के मामले में भी पदधारी नोटिस का हकदार होगा जैसा कि इस अदालत ने **सिविल रिट संख्या 6235/2017 (ललन कुमार पांडे उर्फ लल्लन कुमार पांडे बनाम् गृह मंत्रालय, भारत सरकार)** में अभिनिर्धारित किया है। विद्वत रिट न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश में बहुत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवा 2017 के अधिनियम, कानून और विश्वविद्यालय के अध्यादेश द्वारा शासित होगी और इस प्रकार यह "दक्षिण बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय, संवर्ग भर्ती (गैर-शिक्षण कर्मचारी) नियम, 2016" (इसके बाद "नियम, 2016" के रूप में संदर्भित) है, जो अनुलग्नक-आर4/ए में मौजूद है, जो लागू होगा और वही उनकी प्रतिनियुक्ति को विनियमित करेगा न कि 17.06.2010 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन जो याचिकाकर्ता के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन स्थानीय निकाय आदि के तहत पूर्व संवर्ग के पदों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के मामले से संबंधित है और *इसके विपरीत।*

5. चूंकि विद्वत रिट न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने हमारे समक्ष अपील में तर्क दिया कि विद्वत रिट न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस निवेदन पर विचार नहीं किया कि रिट आवेदन के परिशिष्ट-10 में स्पष्ट आदेश याचिकाकर्ता की स्थिति पर संदेह

उत्पन्न करता है और इसलिए, ऐसा आदेश जारी करते समय, जैसा कि परिशिष्ट-ए/10 में निहित है, यदि याचिकाकर्ता को नहीं सुना गया था, तो उसे रद्द किया जा सकता है।

6. प्रारंभिक सुनवाई में ही भले ही श्री एस. डी. संजय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दिनांकित 07.04.2010 के आदेश का बचाव करने का प्रयास किया, जैसा कि अनुलग्नक-10 में निहित है, हमने प्रथम दृष्टया यह विचार लिया था कि विवादित आदेश याचिकाकर्ता की स्थिति पर संदेह उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि न केवल कई पैराग्राफों में याचिकाकर्ता के प्रदर्शन को असंतोषजनक घोषित किया गया है, एक पैराग्राफ में, यह कहा गया है कि *अन्य बातों के साथ-साथ*, "याचिकाकर्ता की एक आई.ए.ओ के रूप में परिणामस्वरूप एक कार्यात्मक और मजबूत आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का विकास नहीं हुआ है; बल्कि यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत और कारण हैं कि उसकी उपस्थिति और आचरण ने संगठनात्मक कार्य वातावरण को खराब कर दिया है। "

7. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि अनुलग्नक-10 में निहित दिनांकित 07.04.2017 का स्पष्ट आदेश संदेह उत्पन्न करता है और इसे खारिज किया जा सकता है। श्री एस. डी. संजय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को यह संकेत दिया गया था, जिन्होंने दिनांकित 07.04.2017 (रिट आवेदन के अनुलग्नक-10) के स्पष्ट आदेश को बनाए रखने में कठिनाई को देखते हुए इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा था। इस स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने इस अपील के लंबित रहने के दौरान एक संशोधित आदेश पारित किया है, अपीलार्थी ने 2018 का आई. ए. संख्या 1292 होने के नाते एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर करके संशोधित स्पष्ट आदेश को दर्ज

किया है जैसा कि पत्र संख्या में निहित है। आर. एस./22/2018 दिनांक 09.02.2018 में निहित है, उत्तरदाता पंजीयक, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया, जिसके तहत और जिसके तहत पहले का स्पष्ट आदेश सं. सी. यू. एस. बी./ई. एस. टी. टी./एन. टी./219/25/16 दिनांक 07.04.2017, जो रिट आवेदन के अनुलग्नक-10 में निहित आक्षेपित आदेश था, को इस हद तक संशोधित किया गया है कि उक्त आक्षेपित आदेश के पैरा 9 और 10 को फिर से तैयार किया गया है, भले ही इसकी प्रभावशीलता दिनांक 07.04.2017 से बनाए रखा गया हो। याचिकाकर्ता-अपीलार्थी ने इस संशोधित आदेश को अनुलग्नक 1/1 द्वारा रिकॉर्ड पर अंतर्वर्ती आवेदन में लाया है और इसे चुनौती देने की मांग की है।

8. अपील के लंबित रहने के दौरान हुए घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए और दिनांक 09.02.2018 के संशोधित स्पष्ट वाले आदेश को देखने पर हम पाते हैं कि पहले के विवादित आदेश दिनांक 07.04.2017 के पैरा 9 और 10 को संशोधित आदेश के पैरा 13 में इंगित सीमा तक हटा दिया गया है और इन दो पैराग्राफ को निम्नानुसार फिर से तैयार किया गया है:-

“प्रा.9 : जबकि, आई. ए. ओ. के बारे में पंजीयक की मंतव्यों और टिप्पणियों को भी माना गया कि आई. ए. ओ. के काम में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया।

प्रा.10 : इसलिए अब, आई. ए. ओ. के बारे में उपरोक्त तथ्यों, रिपोर्टों, टिप्पणियों और सांविधिक अधिकारियों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकरण का यह विचार है कि प्रतिनियुक्ति पर आई. ए. ओ. के रूप में श्री एस. बी. कुमार की नियुक्ति के परिणामस्वरूप एक कार्यात्मक और मजबूत आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का विकास नहीं हुआ है और इसलिए

उन्हें जारी रखना वांछनीय नहीं है और इस तरह उन्हें समय से पहले अपने मूल पद पर वापस भेज दिया जाना चाहिए। ”

9. इस स्तर पर, अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि क्योंकि आदेश को 07.04.2017 से ही प्रभावी बना दिया गया है, इसलिए उन्हें आशंका है कि अपने मूल संगठन में शामिल होने पर, वह सेवा में अपनी निरंतरता के साथ-साथ अन्य परिणामी लाभ भी खो सकते हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में जहां याचिकाकर्ता विवादित आदेश के खिलाफ इस अदालत के समक्ष अपने कार्यक्षमता उपचार का मुकदमा चला रहा था, वह उस अवधि के लिए अपने वेतन और परिलब्धियों का हकदार होगा जब वह बिना काम के रहे। एक और आशंका व्यक्त की गई है कि यदि संशोधित आदेश को 07.04.2017 से प्रभावी बनाया जाता है, तो याचिकाकर्ता पर रिट आवेदन के अनुलग्नक-10 में निहित दिनांक 07.04.2017 के विवादित स्पष्ट आदेश के अनुसार उसके प्रत्यावर्तन के अनुसार अपने मूल संगठन में शामिल नहीं होने का आरोप लगाया जा सकता है।

10. श्री एस. डी. संजय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता-अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति अवधि अन्यथा अप्रैल, 2018 में ही समाप्त हो रही है और दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में जहां इस न्यायालय ने पहले रिट आवेदन के परिशिष्ट-10 में निहित विवादित आदेश के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* दृष्टिकोण लिया था, प्रतिवादी याचिकाकर्ता-अपीलार्थी को सेवा में निरंतरता से वंचित नहीं करेंगे और आगे कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही होने की संभावना नहीं है। केवल इस कारण से लिया जाए कि वह दिनांकित 07.04.2017 स्पष्ट आदेश के अनुसार अपने मूल संगठन में शामिल नहीं हुआ था।

11. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान केंद्रीय विश्वविद्यालय या अपने मूल संगठन में काम नहीं किया है और इसलिए, उनके मामले में "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू होगा। इस मुद्दे पर अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कि याचिकाकर्ता-अपीलार्थी के लिए वेतन का भुगतान न करने से काम नहीं चला, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमारे सामने रिट आवेदन के अनुलग्नक-11 में निहित 07.04.2017 दिनांकित कार्यालय आदेश रखा है और प्रस्तुत किया है कि अनुलग्नक-11 के अवलोकन पर, जो याचिकाकर्ता को उसके मूल संगठन को वापस भेजने वाला एक कार्यालय आदेश है, यह प्रतीत हो सकता है कि उक्त कार्यालय आदेश (अनुलग्नक-11) में कोई संदेह उत्पन्न करने वाला तथ्य बयान नहीं था और अपीलार्थी को अपने मूल संगठन में शामिल होने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वह यह भी प्रस्तुत करता है कि कार्यालय का आदेश सं 64/2017 दिनांकित 07.04.2017 कहीं भी स्पष्ट आदेश को संदर्भित नहीं करता है जैसा कि लेखन आवेदन के अनुलग्नक-10 में निहित है और इसलिए, अनुलग्नक-10 को मूल संगठन में शामिल होने के बाद भी चुनौती दी जा सकती थी।

12. याचिकाकर्ता-अपीलार्थी और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि संशोधित स्पष्ट आदेश के जारी होने को देखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से दायर अंतर्वर्ती आवेदन के अनुलग्नक-1/1 में निहित, रिट याचिकाकर्ता-अपीलार्थी की शिकायत का निवारण किया गया है और रिट आवेदन के अनुलग्नक-10 में निहित दिनांक 07.04.2017 के आदेश के संदेह उत्पन्न करने वाले हिस्से को उत्तरदाताओं द्वारा हटा दिया गया है।

13. मामले के विशिष्ट तथ्यों में हम दिनांक 07.04.2017 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-10) के आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हैं क्योंकि इसे पहले ही संशोधित स्पष्ट आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। हम श्री एस. डी. संजय की इस दलील से सहमत हैं कि मामले के तथ्य में याचिकाकर्ता-अपीलार्थी इन सभी अवधियों के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा क्योंकि उसने केंद्रीय विश्वविद्यालय या अपने मूल संगठन में काम नहीं किया है। चूंकि आक्षेपित आदेश (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-10) या कार्यालय आदेश (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-11) पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता-अपीलार्थी को रिट आवेदन के अनुलग्नक-10 में निहित आदेश के कलंकित संदेह उत्पन्न करने वाले हिस्से को चुनौती देते हुए अपने मूल संगठन में शामिल होने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हमारी सुविचारित राय में, "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू होगा।

14. तथापि, हम अभिलिखित करते हैं कि याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता अपनी सेवा की निरंतरता और वेतन को छोड़कर परिणामी लाभों का हकदार होगा। इसके अलावा, जैसा कि बार में प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल रिट आवेदन के अनुलग्नक-11 में निहित कार्यालय आदेश के अनुसार अपने मूल संगठन में शामिल नहीं होने के कारण शुरू नहीं की जाएगी।

15. लेटर्स पेटेंट अपील और आई.ए.सं० 1292/2018 को ऊपर बताए गए हद तक अनुमति दी गई है और विद्वान रिट कोर्ट के विवादित फैसले को तदनुसार संशोधित किया गया है।

16. लेटर्स पेटेंट अपील के साथ-साथ अन्य सभी अंतर्वर्ती आवेदन जो रिकॉर्ड पर हैं, उनका तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(राजेन्द्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

दिलीप, एआर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।